न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—47 / 2023 (2023 / 112) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. भैरूलाल पिता मोहनलाल नाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. रोशन पिता शंकरलाल नाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. अनीलकुमार पिता शंकरलाल नाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. चान्दमल पिता शंकरलाल नाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. चुन्नीलाल पिता शंकरलाल नाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नाथुलाल पिता शंकरलाल नाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. उदयलाल पिता रंगलाल नाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. प्रमीदेवी पुत्री बालुराम माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. तुलसीराम पिता चतरभुज माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. ख्यालीलाल पिता लक्ष्मणलाल माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. बंशीलाल पिता गोकल माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. रतनलाल पिता बगतावर माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. भैरूलाल पिता रामचन्द्र माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. लादुलाल पिता रामचन्द्र माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. अमर सिंह — प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.06.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2602 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 2616 रकबा 0.13 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 621 पर राजस्व खाते में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुस्तकिल [illegible]ने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व [illegible] में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आरा[illegible] पत्थरगढ़ी कराने बावत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्र[illegible] विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 01.03.2023 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.31 13:36:18 IST
Reason: SelfAttested

को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 04.04.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 व 7 लगायत 13 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 6 के विरूद्व प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। प्रार्थी खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2602 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 2616 रकबा 0.13 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 621 पर राजस्व खाते में दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू—अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200 / —रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500 / —रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.31 13:36:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—47 / 2023 (2023 / 112) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. भैरूलाल पिता मोहनलाल नाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. रोशन पिता शंकरलाल नाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. अनीलकुमार पिता शंकरलाल नाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. चान्दमल पिता शंकरलाल नाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. चुन्नीलाल पिता शंकरलाल नाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नाथुलाल पिता शंकरलाल नाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. उदयलाल पिता रंगलाल नाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. प्रमीदेवी पुत्री बालुराम माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. तुलसीराम पिता चतरभुज माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. ख्यालीलाल पिता लक्ष्मणलाल माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. बंशीलाल पिता गोकल माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. रतनलाल पिता बगतावर माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. भैरूलाल पिता रामचन्द्र माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. लादुलाल पिता रामचन्द्र माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 27.06.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2602 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 2616 रकबा 0.13 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 621 पर राजस्व खाते में दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/—रूपये सम्बधित भू—अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उस[illegible] नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.31 13:36:18 IST
Reason: SelfAttested

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)